सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

अनिल कुमार चौधरी
निदेशक
ANIL KUMAR CHOUDHARY
DIRECTOR
TEL : 23344933
FAX : 23364197

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
E-mail : akchoudhary@nic.in

सं.सी-42/2011-एमपीलैड्स

17 फरवरी, 2012

सेवा में,

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव
आयुक्त, नगर निगम दिल्ली/कोलकाता/चेन्नै/मुंबई
सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः- एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का संशोधन ।

महोदय/महोदया,

कृपया इस मंत्रालय के दिनांक 26 अगस्त, 2011 के समसंख्यक सुधार परिपत्र नं.8 का संदर्भ लें जो एमपीलैड योजना संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 से 4.3 तक में किए गए संशोधनों से संबंधित है ।

संशोधित परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, 2.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त वित्त वर्ष के आरंभ में जारी की जाएगी । शेष वर्षों में, पहली किस्त वित्त वर्ष के शुरू में जारी की जाएगी जो इस शर्त के अधीन होगी कि पिछली वर्ष की दूसरी किस्त संबंधित सांसद के लिए जारी की गई थी तथा जो पिछले वर्ष के अंतरिम उपयोग प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने के भी अधीन थी और इसमें पिछले वर्ष की पहली किस्त के व्यय का कम से कम 80% शामिल किया गया था ।

एमपीलैड्स निधि की दूसरी किस्त को जारी करना निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन था:-

(i) जिला प्राधिकारी के खाते में उपलब्ध स्वीकृत शेष राशि, सभी स्वीकृत कार्यों की लागत को ध्यान में रखते हुए, 1 करोड़ रुपए से कम है;

(ii) संबंधित सांसद की निधि की अव्ययित शेष राशि 2.5 करोड़ रुपए से कम है; और

(iii) पिछले वित्त वर्ष का उपयोग प्रमाणपत्र तथा पिछले वर्ष से पूर्व वर्ष में संबंधित सांसद को जारी की गई निधि हेतु लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है (दिशानिर्देशों के क्रमशः अनुबंध-VIII तथा IX में दिए गए फार्मेट में)

2. मामले की पुनः जांच की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि दूसरी किस्त जारी करने के लिए 1 करोड़ रुपए की अस्वीकृत शेष राशि तथा 2.5 करोड़ रुपए की अव्ययित शेष राशि की शर्त वित्त वर्ष 2011-12 से पहले लंबित निधि को जारी करने के लिए भी लागू होगी ।

3. एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में इन अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाए ।

4. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के सहमति से उनकी आईडीसं.56(2)/पीएफ II/2006 दिनांक 3/2/2012 के अनुसार ।

भवदीय,

(अनिल कुमार चौधरी)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. सभी माननीय सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
3. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
4. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी सम्बंधित अधिकारी
5. एनआईसीः एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए